



2026:AHC:54053-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 9905 वर्ष 2026

विष्णु कुमार और एक अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: लवकुश कुमार मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., आशीष अग्रवाल, ध्यानशंकर पांडे

न्यायालय सं - 1

माननीय अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता श्री लवकुश कुमार मिश्रा और प्रतिपक्षी-बैंक के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री ध्यानशंकर पांडे को सुना।
2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:

"प्रतिपक्षी संख्या-2, अधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दयाल बाग रोड, पटेल मार्केट, दयाल बाग आगरा, जिला आगरा द्वारा दिनांक 19.2.2026 को जारी किए गए आक्षेपित बिक्री नोटिस को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जो कि दिनांक 5.8.2022 के अनुसार हाउस संख्या-40A/E.N./301/1, ईश्वर नगर, काकरेठा, अमर उजाला प्रेस के पास, सिकंदरा रोड, आगरा जिला आगरा, ई-नीलामी के लिए 10,92,653.86+ ब्याज निर्धारण तिथि 13.3.2026 की वसूली के लिए है।



3. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि नीलामी बिक्री के लिए 13.3.2026 तय किया गया था, लेकिन कोई नीलामी बिक्री नहीं हुई और उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता पूरे बकाया का भुगतान करने के लिए तैयार हैं।

4. **प्रतिपक्षी** बैंक की ओर से पेश अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि नीलामी बिक्री निर्धारित तिथि पर नहीं हो सकती है, हालांकि वह प्रस्तुत करता है कि आज की तारीख में, याचिकाकर्ताओं पर 15,92,124.66/- रुपये की देनदारी है और यदि वे अगले 30 दिनों के भीतर 3 लाख रुपये का भुगतान करते हैं, तो बैंक इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शेष किश्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा।

5. राज्य प्रतिपक्षियों की ओर से पेश होने वाले स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि वित्तीय संस्थान उधारकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर सहमत हो जाता है तो यह वित्तीय संस्थान है जिसे केवल समर्थन करना है और राज्य प्राधिकरण का इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है।

6. चूंकि पक्षगण आसान किस्तों में बकाया राशि के भुगतान और स्वीकृति के लिए सहमत हुई हैं, इसलिए हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ पक्षकारों की सहमति से इस याचिका का **निस्तारण** करते हैं: -

(i) याचिकाकर्ता पहले आज से दस दिनों के भीतर इस वचन पत्र के साथ एक हलफनामा दायर करेंगे कि वे प्रतिपक्षी संख्या-3 के साथ आज से तीस दिनों के भीतर 3 लाख रुपये जमा करेंगे और शेष शेष राशि को तीन द्विमासिक समान किस्तों में बिना किसी असफलता के जमा करेंगे।

(ii) यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त वचन प्रस्तुत करते हैं और ऊपर निर्देशित किए अनुसार जमा करते हैं, तो बैंक/वित्तीय संस्थान, अर्थात्, प्रतिपक्षी संख्या-3 याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले बकाये के संबंध में खाते का विवरण तीन द्विमासिक समान किश्तों में प्रदान करेगा। खाते का विवरण याचिकाकर्ताओं द्वारा उस तिथि तक जमा की गई पूरी राशि को समायोजित करते हुए राशि जमा करने के एक सप्ताह के भीतर प्रदान किया जाएगा। खाते का विवरण पहले की गई ऐसी जमा राशि को दिखाएगा।



(iii) खाते का विवरण प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता 18 मई, 2026 से शुरू होने वाली तीन द्विमासिक किस्तों के भीतर शेष शेष राशि जमा करेंगे।

7. यदि याचिकाकर्ता तीस दिनों के भीतर 3 लाख रुपये जमा करके और एक हलफनामा प्रस्तुत करके उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हैं, तो प्रतिपक्षी वित्तीय संस्थान द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अपने अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

8. हालांकि, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि याचिकाकर्ता 3 लाख रुपये जमा करने में विफल रहते हैं और प्रतिपक्षी संख्या-3 के साथ एक हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं और/या आगे ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो इस आदेश के तहत दी गई सुरक्षा काम करना बंद कर देगी और प्रतिपक्षी संख्या-3 सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 सपठित धारा 13 के तहत उपाय करके इसके लिए उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा और किसी भी परिस्थिति में किसी भी दूसरी रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, और न ही इस आदेश के संशोधन के लिए किसी भी संशोधन आवेदन पर विचार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति स्वरूपा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति अजीत कुमार)

मार्च 17, 2026

शिव